

Asun

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 79/18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सत्यानन्द तोपनो

- विक्रेता

प्रकाश बरला

- क्रेता

वाद की क्रम
संख्या और
तारीख

05.07.18

आदेश

आवेदक/आवेदिका सत्यानन्द तोपनो पिता स्व० जेम्स तोपनो ग्राम दियाँकेल, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने प्रकाश बरला पिता बिन्सेंट बरला ग्राम हिल चौक तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
दियाँकेल	51	38	1181	0.10

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं० 066281 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 320(II) दिनांक 25.06.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मसीह दास महतो वगैरह है। पंजी II के अनुसार मसीह दास महतो वगैरह के नाम भूमि का रकवा 13.92 एकड़ है। आवेदक के पास 4.60 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-2018 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 3692.00(तीन हजार छः सौ बानबे)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 4.50 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रे ता एवं वि क्रे ता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रे ता-वि क्रे ता को भूमि क्रय-वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सत्यानन्द तोपनो पिता स्व० जेम्स तोपनो को प्रकाश बरला पिता बिन्सेंट बरला के साथ ग्राम दियाँकेल के खाता सं० 38 खेसरा संख्या 1181 का रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 3692.00(तीन हजार छः सौ बानबे)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

05.07.2018
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

05.07.2018
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।